[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—1000/69]

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधियों के भण्डारों की बारम्बार जांच की जाती है किन्तु ऐसे जांच कार्य के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Single Excise Levy on Final Products

*1498. SHRI MUHAMMAD SHERIFF: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a member of the Planning Commission has favoured a single excise levy on final products instead of a number of levies on components and raw materials that go to make them; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE, (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. The Member (Industry) of the Planning Commission, while inaugurating a seminar on Electronics at New Delhi on 8th March, 1969, had observed that it would be preferable to levy a heavy single excise duty on the final product in certain cases instead of multiple levies on raw materials and components.

(b) Government consider that in principle the levy of excise duty on the final product is preferable to levies on raw materials and components. However, it is not in practice always possible to tax final products, and therefore levies need to be imposed on the components and raw materials.

खाण्डसारी तथा चीनी पर उत्पादन शुल्क

*1499. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खांडसारी तथा चीनी के निर्धारित मूल्य के अनुसार उत्पादन शुल्क लगाने के लिये आदेश जारी किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मिल मालिकों के नाम तथा पते क्या हैं जिन पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है और इससे कितनी अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्त विधेयक 1969 के खण्ड 30 (1) और 33 (1) का अभिप्राय यह है कि निर्यात पात्र चीनी (वैक्यूम पैन शूगर) और खांडसारी के शुल्क निर्धारण का आधार वजन के स्थान पर मूल्य कर दिया जाए। अन्तिम कर वसूली अधिनियम, 1931 के अन्तर्गत की गई घोषणा के फलस्वरूप वह प्रस्ताव पहले ही 1 मार्च, 1969 से लागू किया जा चुका है और तदनुसार उत्पादन-शुल्क समाहर्त्ताओं को निर्यात पात्र चीनी और खांडसारी पर उनके मूल्य के आधार पर उत्पादन शुल्क लगाने की हिदायतें जारी कर दी गयी थीं। खांडसारी के मामले में मूल्यानुसार शुल्क केवल उन्हीं निर्माताओं के मामले में लागू है जिन्होंने मिश्र-शुल्क दरों पर शुल्क देने का विकल्प नहीं दिया है, अन्य युनिटों पर मिश्र-शुल्क लगता रहेगा लेकिन और ऊंची दरों पर।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव के कारण पूरे एक वर्ष के दौरान निर्यात पात्र चीनी से 2745 लाख रुपये और खांडसारी से 30 लाख रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

भारत में निर्यात पात्र चीनी और खांडसारी कारखानों की संख्या 1500 से ऊपर है। उनके नामों और पतों का, संकलन व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उसमें अपेक्षाकृत बड़ा ही श्रम और समय लगेगा।